

उत्तराखण्ड शासन
प्रिविटी ३०-सा० (नि०) अनुभाग-७
संख्या: / XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादून: दिनांक २३ जनवरी, २०१९

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तुतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्थुतियों पर शासन द्वारा सम्प्रयक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष विभाग के अन्तर्गत कलीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का १५% "प्रैविट्स बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक ०१ फरवरी, २०१९ से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त/कार्यरत चिकित्सक, यदि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन कलीनिकल कार्य करते हैं, तो उन्हें भी उपरोक्त दरों पर "प्रैविट्स बन्दी भत्ता (NPA)" देय होगा।
३. उक्तानुसार स्वीकृत प्रैविट्स बन्दी भत्ता एवं मूल वेतन का कुल योग रु० २,२५०००.०० (रु० ८० दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।
४. प्रैविट्स बन्दी भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: २७ (१) / XXVII(7)/18-50(14)/2017 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
३. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
४. निदेशक, आयुर्वेदिक, यूनानी सेवायें एवं होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।
५. सामरत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
६. निदेशक, कौपागार, पैशन एवं हकदारी, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
७. निदेशक, विभागीय लेखा, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
८. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
९. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
१०. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
११. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
१२. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

1-T
upload करें।

016
24.1.19

(देवेन्द्र शाह)
आधिकारी अभियन्ता